Bihar,
Patna.
18.5.86.

Respected Com. Rodiyan,

This State unit of the B.K.M.U. held a state-level convention against atrocities against weaker sections, on 11 May, in Patna. Com. G. Yellamanda Reddy would have reported to you regarding this successful convention.

It was significant that 2/3 of Bharat Sao killed in Arwal firing was among those who presided over the convention. Another participant from Arwal was Siyacharan Sao whose son was killed in Arwal by the police in the same incident. Members of the Sahari martyrs' families also participated. Com. Hardeo Mahto (Sahari), father of Ramcharitra Mahto and Janardan Mahto killed by the police hoisted the flag.

424 delegates participated in the convention. Delegates came from 27 districts. TU and AISF delegates were in good number. 100 came from Sahari. 30 35 from Gaya.

There were weaknesses in some of our district units. I can say that many of our district units has failed to send delegates in expected numbers. "But it was so mainly because", as some comrades say, "the line of the convention was not suitable". After all, this convention was very much

impressive and enthusiastic.

We held meeting of our State Council on 12.14th, Com. President attended this meeting.

He would have told you all the things.

Yours sincerely

Nagendra sinha.

पहला मोड़ FIRST FOLD

INLAND LETTER CARD

भारत INDIA 35 35

Com. P.K. Kodiyan
General Secretary, B.K.M.U.
Ajoy Bhavan
Kotla Road, New Delhi

पिन PIN 1 1 0 0 0 2

तीसरा मोड़ THIRD FOLD

दूसरा मोड़ SECOND FOLD

इस पत्र के भीतर कुछ न रखिए NO ENCLOSURES ALLOWED
पते में पिन कोड लिखें WRITE PIN CODE IN ADDRESS
प्रेषक का नाम और पता :— SENDER'S NAME AND ADDRESS :—

पिन PIN

अस्पृश्यता ईश्वर और मानवता के प्रति अपराध है।
UNTOUCHABILITY IS A CRIME AGAINST GOD AND MAN

Anti-feudal & police atrocities convention calls.

Organise United Struggles against Atrocities .

PATNA:- One day convention against feudal and police atrocities held here on 11th May in local Machhuatoli, Middle School compound, called upon all the peace-loving people, mass organisations, bataidars, poor peasants, agricultural workers, harijans, adivasis and other weakers sections to organise united militant struggles to resist increasing feudal and police atrocities in Bihar country side.

This special type of convention decided to organise the 5th June on protest day at block level, on the 25th June state demonstration at Patna and Bihar Band on the 9th August.

The support of AIKS, TU, MAHILA SAMAJ, All India Student Federations and All India Youth Federations was of great importance for the convention. In the convention the participation of G. Yallamanda Reddy, President of BKMU, eminent Urdu Poet, Kaifi Azmi, Bhogendra Jha. Pitamber Singh the president and general secretary respectively of Bihar Rajya Kisan Sabha, Raj Kishor Singh, General Secretary, Bihar State Committee of AITUC and dozens of women, who have been the victim of brutal atrocities of landlords and the police, was of the special atrocities.

On this occasion while inaugurating the convention, G. Yallamanda Reddy, President of Bharatiya Khet Mazdoor Union, proclaimed amidst the clapping that in spite of brutal and terrorist actions of the feudals and the govt. the landless, agricultural workers and share croppers would be continuing their struggle untill they achieved their rights. He alleged that even after 39 years of independence, the government could not provide protection to the share croppers, landless and the agricultural workers instead the police and the administration committed zulum on them with alligiance to the feudals. Reddy reminded that Bihar was not isolated state where feudal repression and oppression were committed. In other states too this repression was going on and the government was patronising the repressors, Reddy alleged. About the cause of repression Reddy said that since the landless, agricultural workers and the share croppers were organising themselves and were fighting for their rights, therefore the feudals were attacking colluded with the police and the administration.

Yallamanda Reddy told that the agricultural workers and bataidars were struggling for land reform under the banner of Bharatiya Khet Mazdoor Union. It was the agricultural workers movement , which compelled the government to distribute lakhs of acres government land and surplus land among the landless. He advised the agricultural workers that the surplus land could not be acquired or distributed on the mercy of the government. It was the movement, which would enable the landless to occupy that land.

At last he called upon the small farmers, marginal farmers industrial workers, trade unions, students, Youths that various sections of the society would have to come up for struggle against these atrocities.

(Contt.... 2 ....)

Illustrating the figures of atrocities against rural poor all over India. G. Yallamanda Reddy said that atrocities against rural poor had gone up from 13,000 in 1980 to 14,000 in 1981 and 15,000 in 1982. He added, giving figures for April 1986 that in Bihar alone one atrocity was committed every forth day.

The convention unanimously adopted a document report, presented by Nagendranath Ojha, the general secretary of Bihar Rajya Khet Mazdoor Union.

The report says that since last one decade the armed attacks on landless, agricultural workers, harijans adivasis, bataidars, poor peasants and other weaker sections have been being organisedly and jointly made by the feudals, goondas and police. The massesses of Dharampura, Belchhi, Samahuta, Pipra, Lohsoona, Bishrampur, Bajitpur, Parasbigha, Bhathsimar, Gaini Kaithi, Banjhi, Modanganj, Tufirdiara, Kunai, Sahari and Arwal etc. are some living examples of it.

The report further says that in various parts of the state the struggles of rural poors are going on sharper and sharper. They are demanding home side for rehabilitation and land for livelihood. They are willing to acquire surplus land, gair mazarua land and Bhoodan lands . They are willing to be the owner of bataidari land. They demand occupation over that land for which they have got parcha. They are refusing to be evicted from bataidari land. They are no longer ready to be banded labourers. They are demanding statutory minimum wage and for which they are organising hartal. Now they are notready to tolerate insulty and assault over their women. This conciousness of the rural poor has agitated the landlords, money lenders. Contractors and other exploiters and it is why they are making armed brutal attacks with the help of the police.

The report has illustrated a lot of feudal police atrocities. But the report accepts that at many places the rural poors are resisting the feudal attacks.

* The report has said that the landlords of Bihar have formed about a dozen of private armies, like Bhumi Sena, Brahmarshi Sena, Lorik Sena , Kuer Sena, Rana Sena, CNorth Bihar Samajwadi Krantikari Sena, Chanakya Sena etc. in order to crush and supress the movemant being launched by the rural poor in the country side. The report has alleged that these private armies are being patronised and helped by the public and the ruling party politicians.

The report has alleged that central government not to check these atrocities, though scheduled castes and scheduled tribes commissions report (1977-78) clearly states that the guarantee of protection to the weaker sections has been mentioned in the constitution, so these cases are not the cases of simple law and order. Since the central government is the custodian of the constitution, therefore, this issues lies under the responsibility of the central government.

(Contt.... 3 ....)

Criticing the government for its failure on the front of land reforms, the document states that the government has promised to give the land to the tillers- But the legislation for land reform were not enacted in accordance with this declared policy. Whatever, the legislations were enacted , are not implemented. The planning Commission has estimated in 1978 that surplus land from the ceiling was that time 215 lacre in the country. lakh But only 22 lakh surplus land could be distributed. Even one percent of total arable land in the country could not distributed, the document says.

Still today there are a large number of big landlords who are occuping thousands of acre land . The zamindars, contractors and money lenders have illegally occupied the government land and gairmazarua land. The government is shy to distribute this land by acquiring from the illegal occupation of these landlords what the land has been distributed, most of its part has not been occupied the landless or the poor. The cases related to thousands acres of surplus land are pending in the courts. Thus the government has thrown the land reforms in to the dustbin.

Document further, tells that the share of landless poor in the total population of the country is 60% and the rich peasants ' share is only 10 percent. But it is surprising that landless poor is occupying only 10 percent of total arable land the rich peasants are occupying 58 percent. Similarly 65 percent of the rural poors are in debt.

In this situation the struggle to demand for bringing change in socio-economic condition, is natural That is why the rural poor are being attached, their woman are assualted and reped and they are indulged in several criminal cases only to terrorise and to harass them, so that they give up the way of movement for socio-economic change.

The report has stressed that now it is the demand of the time that struggles being waged by the rural poors, be more and more organised and widened.

The unity among their different sections be made stronger and stronger. A vast public opinion in favour of the demands of the harijans, adivasis , bataidari, agricultural workers and other weaker sections and against the feudal and police atrocities be mobilised. We should not forget that the unity of the rural poors is being disrupted on the basis of castes,creed and communities. the document has appealed the industrial workers to made effective intervention for the cause of these rural poor. The joint struggle of industrial and rural workers for fundamental change in rural socio-economic structure has now became a necessity. The struggle being waged for the elimination of feudal and police atrocity cannot be considered saperate from the struggles being fought for fundamental change.

The convention decided some measure to be taken for stopping the feudal and police atrocity. They are :-

(Contt.... 4 ....)

I. Landlords private armies be banned their arms be seized and their patrons be arrested.

II. Special courts be set up at district and sub-division level in order to lodge and hear the case of atrocities on the rural poor.

III. Stern action be taken against those officers, who are responsible to encourage such atrocities.

IV. A committee be constituted at state level to guarantee immediate actions against those, who make atrocities. Representatives of harijans, adivasis weaker sections and mass organisations of agricultural workers, be included in the committee.

V. Culprits of Banjhi, Madanganj, Tofir diara, Sahari and Arwal massacre be punished.

The convention also demanded to implement bataidari Act, state wide compaign for occupation of landless parcha holders over surplus land gairmazaru land and government land, parcha for Homestead be distributed through special compaign, minimum wage act, be strictly implemented withdrawal of all false cases in connection to the wage and land struggles and stern action against those landlords who have bonded labourers.

Two seperate resolutions on Sahari and Arwal massacre were adopted. The convention demanded all party probe of Sahari and Arwal police firing, disputed land of Sahari and Arwal be settled with bataidars and landless poors, compensation to victims families arresting Ghoswary SI and Jahanabad S.P, etc.

Besides 424 delegates a large number of school college, teachers, lawyers, doctors, journalists, writers and other intellectuals and representatives of Kishan Sabha T.U. Mahila Samaj etc., participated in the convention. Eminet Urdu poet, Kaifi Azami and dozens of women who have been victim of several feudal police atrocities were of special atraction in the convention.

Amidst the clapping, Kaifi Azmi stirically said that Rajiv Gandhi was anxious to bring India to the 21st Century. We should offer 21 dead bodies of Arwal massacre which he would take away with him to the 21st century as his a gift, which would symbalise his earning of the 20th century. Kaifi Also said that Rajiv Gandhi wanted to clean the Ganges river. But first he should clean his government which had stoin of blood of several innocent poors. He called upon the people of Bihar to launch consistent struggle ~~to withdrown~~ for removal this government.

Sh. Pitamber Singh, Bhogendra Jha ,President and general secretary respectively Bihar Rajya Kisan Sabha and Raj Kishore Singh , general secretary of Bihar committee of AITUC assured the rural poor and the BKMU which was the organiser of the convention to land the support to the struggle against feudal & police atrocities.

Bhogandra Jha , Raj Kishore Singh, Chanradeo Prasad Himanshu, Bhola Manjhi and Shanti Devi wife of Bharat Sao who was killed in Arwal police firing, were in presediam.

(Contt.... 5 ...)

The speech of Shanti Devi inspired the delegates and the rural poors to a great extent , while she told that her husband was killed in the way of struggle and she herself would carry out the tradition of her husband. She criticised the police that still today Arwal police is terrorising and harrasing the local people, who opens their mouth to disclose the reality of Arwal firing.

BIHAR RAJYA KHET MAZDOOR UNION.

....

जुल्म बिरोधी राज्य सम्मेलन,
पटना, 11 मई (रविवार) 1986
स्थान:- मछुआ टोली मिडुल स्कूल
समय:- प्रथम सत्र अपराह्न 2 से 5 बजे
द्वितीय सत्र संध्या 6 से 9 बजे रात्रि

President, Com. G. Yallamanda Reddy.
Bharatiya Khet Mazdoor Union.
New Delhi

सामाजिक - आर्थिक न्याय के लिये संघर्षरत ग्रामीण कमजोर तबकों पर संगठित हमले एवं जघन्य हिंसा की घटनाएं निरन्तर जारी हैं। कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे जुल्म की स्थिति, राज्य के अन्दर पिछले एक दशक से अत्यन्त गम्भीर बनी हुई है। धर्मपुरा, बेलछी, जमहुता, पिपरा, विश्रामपुर, पारसबीघा, गनी, कैथी, पांकी, मोदनगंज, तोफिर दियरा आदि कई सामूहिक नरसंहार की घटनाएं पिछले दिनों घटीं। शहरी हत्या काण्ड और अरवल नरसंहार ग्रामीण कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे बर्बर जुल्म के ताजा उदाहरण हैं।

उपरोक्त पृष्टभूमि में, बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ने दिनांक 11 मई, 1986 को पटना में जुल्म विरोधी राज्य सम्मेलन आहूत किया है।

आप से आग्रह है कि इस सम्मेलन में भाग लेकर इसे सफल बनाने में सहयोग करें।

निवेदक
नागेन्द्रनाथ ओझा
(नागेन्द्रनाथ ओझा)
महासचिव,
बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

पटना,
ता0- अप्रैल 27, 86

यूनियन के जिला सचिवों और राज्य परिषद
के सभी सदस्यों के नाम ::

11 मई, 1986 को पटना में आयोजित होने
जा रहे राज्य स्तरीय जुल्म विरोधी सम्मेलन
का कार्यक्रम सफल बनावें :

प्रिय साथी,

आपको मालूम ही है कि बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के तत्वाधान में 11 मई 1986 को पटना में ग्रामीण कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे सामन्ती एवं पुलिस जुल्म के खिलाफ एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम है।

सम्मेलन का स्थान पटना में अजय भवन के निकट महुआ टोली में महुआ टोली मिड्ल स्कूल का प्रांगण है। सम्मेलन उक्त तिथि को अपराह्न 2 बजे से 5 बजे तथा संध्या 6 बजे से 9 बजे रात्रि तक चलेगा।

यूनियन के प्रतिनिधियों के अलावे, छात्र, महिला, नौजवान और ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि एवं वकील, लेखक तथा पत्रकार आदि भी सम्मेलन में भाग लेंगे।

राज्य में बढ़ते सामन्ती एवं पुलिस जुल्म की गम्भीर स्थिति पर विचार-विमर्श के बाद सम्मेलन द्वारा मांग-पत्र तैयार किया जायेगा और इसे लेकर संघर्ष के कार्यक्रम का एलान किया जायेगा।

सम्मेलन को सफल बनाने की गारंटी की जाये:

(1) यूनियन की राज्य परिषद तथा जिला परिषदों के सभी सदस्यों को सम्मेलन में अवश्य ही भाग लेना है;

(2) प्रत्येक जिला से कम-से-कम 10 (दस) अन्य ऐसे प्रतिनिधियों को सम्मेलन में लाने की गारंटी की जाये जो किसी न किसी प्रकार के पुलिस व सामन्ती जुल्म से पीड़ित या भूमि व मजदूरी आदि के सवालों पर हो रहे संघर्षों से सम्बंधित हों;

(3) प्रत्येक जिला परिषद शहीद परिवार का चयन करे। महत्वपूर्ण है कि शहीद परिवारों की महिलाओं को सम्मेलन में लाने की गारन्टी की जाये।

--- जिला परिषद जिले के अन्दर लेखकों, वकीलों, पत्रकारों आदि में से भी प्रतिनिधि चुन सकती है और उन्हें सम्मेलन में आने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

--- राज्य स्तर से छात्र, महिला, नौजवान और ट्रेड यूनियन संगठनों को अपने-अपने प्रतिनिधि भेजने के लिये आमंत्रित किया जा रहा है

--- जिला के अन्दर जुल्म से सम्बन्धी घटनाओं एवं स्थिति पर एक रिपोर्ट जिला परिषद द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट सम्मेलन के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा।

--- प्रतिनिधियों को 11 मई को 12 बजे दिन तक पटना पहुंच जाना चाहिए ताकि सम्मेलन समय पर शुरू किया जा सके।

प्रिय साथी,

हत्या और नरसंहार की हाल में घटित शहरी और अरवल की घटनाओं ने हमें एक नयी चुनौती दे दी है। हमारी यूनियन सहित, ग्रामीण गरीबों के बीच कार्यरत विभिन्न जनसंगठनों तथा राज्य के विभिन्न राजनीतिक दलों ने इन घटनाओं को बड़ी गम्भीरता से लिया है। ऐसी स्थिति में हमारी यूनियन द्वारा आहूत जुल्म विरोधी राज्य स्तरीय सम्मेलन के कार्यक्रम का महत्व काफी बढ़ गया है। इस सम्मेलन को विशेष ढंग से सफल बनाने की चिन्ता राज्य परिषद के प्रत्येक सदस्य एवं प्रत्येक जिला परिषद को होनी चाहिए।

आइये, सम्मेलन सफल बनाकर हम संघर्ष का कार्यक्रम तय करें। जुल्म के खिलाफ व्यापक जनमत तैयार करें।

साभिवादन !

आपका साथी
नागेन्द्रनाथ ओझा
(नागेन्द्रनाथ ओझा)
महासचिव,
बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन,
पटना।

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन,
केदार दास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान, अदालतगंज, अमरनाथ रोड, पटना-1

तां० 29-4-86

प्रकाशनार्थ :

पटना, दिनांक 28 अप्रैल । बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के तत्वाधान में पटना में 11 मई 1986 को, ग्रामीण कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे सामन्ती एवं पुलिस जुल्म के खिलाफ एक राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया जायेगा ।

यूनियन ने, खेत मजदूरों - बटाईदारों एवं दूसरे कमजोर तबकों के बीच कार्यरत कार्यकर्ताओं के अलावे छात्र, नौजवान, महिला, शिक्षक एवं ट्रेड यूनियन संगठनों के प्रतिनिधि को भी सम्मेलन में भाग लेने के लिये आमंत्रित किया है। ग्रामीण समस्याओं के प्रति दिलचस्पी रखने वाले समाजशास्त्री, वकील, लेखक, पत्रकार आदि भी आमंत्रित किये गये हैं।

सामाजिक-आर्थिक न्याय के लिये संघर्षरत ग्रामीण कमजोर तबकों पर संगठित हमले एवं जघन्य हिंसा की घटनाएं निरन्तर जारी हैं। कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे जुल्म की स्थिति, राज्य के अन्दर पिछले एक दशक से अत्यन्त गम्भीर बनी हुई है। धर्मपुरा, बेलछी, सपुहुता, पिपरा, विश्रामपुर, पारसबीघा, गैनी, कैथी, बांफी, मोदनगंज, तौफिर दियरा, आदि कई सामूहिक नरसंहार की घटनाएं पिछले दौर में घटीं । शहरी हत्या काण्ड और अरवल नरसंहार ग्रामीण कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे जुल्म के ताजा उदाहरण हैं।

राज्य में बढ़ते सामन्ती व पुलिस जुल्म की गम्भीर स्थिति पर विचार विमर्श के बाद सम्मेलन द्वारा एक मांग-पत्र तैयार किया जायेगा और इसे लेकर संघर्ष के कार्यक्रम का एलान किया जायेगा ।

पूर्व निर्देश के मुताबिक, यूनियन की प्रत्येक जिला परिषद सम्मेलन के लिए जिले से दस ऐसे प्रतिनिधियों का भी चयन करेगी जिनके परिवार पुलिस व सामन्ती जुल्म से पीड़ित हैं या वे भूमि व मजदूरी आदि के सवालों पर हो रहे संघर्षों से सम्बन्धित हों । विभिन्न जिलों से भूस्वामियों एवं पुलिस की गोली से मारे गये शहीदों के परिवार की महिलाएं भी सम्मेलन में आमंत्रित की गयी हैं।

यूनियन के राज्य केन्द्र ने अपनी राज्य परिषद और जिला परिषदों के सभी सदस्यों को जुल्म विरोधी सम्मेलन में उपस्थित होने का निर्देश दिया है।

जुल्म विरोधी सम्मेलन के फैसलों को कार्यान्वित करने हेतु योजना बनाने के लिए यूनियन की राज्य परिषद की बैठक 12 मई को 8 बजे सुबह से होगी ।

नगेन्द्रनाथ ओझा
महासचिव, बि.रा.खे.म.यू.

बिहार राज्य परिषद,
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी

अजय भवन,
लंगरटोली, पटना - 4
ता० 27 अप्रैल 1986

सभी जिला परिषद सचिवों के नाम :

प्रिय साथी,

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के तत्वाधान में आगामी 11 मई को पटना में हरिजनों, आदिवासियों, खेत मजदूरों एवं अन्य ग्रामीण कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे जुल्म के खिलाफ एक राज्य स्तरीय सम्मेलन आयोजित करने का कार्यक्रम है।

भारतीय खेत मजदूर यूनियन की केन्द्रीय कार्यकारिणी ने सामाजिक अत्याचार के बिरुद्ध राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने का फैसला लिया है। इस राष्ट्र व्यापी अभियान के फैसले की रोशनी में बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन ने राज्य के अन्दर जुल्म बिरोधी राज्य स्तरीय सम्मेलन सम्पन्न करने का फैसला लिया जिससे आप अवगत हैं।

हत्या और नरसंहार की शहरी और अरवल की घटनाओं के कारण जो परिस्थिति पैदा हुई है उसमें यूनियन द्वारा आहूत जुल्म बिरोधी सम्मेलन का महत्व काफी बढ़ गया है। इस सम्मेलन को सफल बनाने में जिला परिषदों को सहयोग करना है। सम्मेलन में भाग लेने के लिये जिले से प्रतिनिधि भेजने में सहयोग किया जाए।

यूनियन के राज्य केन्द्र की ओर से यूनियन के जिला परिषदों एवं राज्य परिषद सदस्यों के नाम जारी किये सरकुलर की प्रति आपको भेजी जा रही है। उसमें दर्ज निर्देशों को लागू कराने में मदद की जाये ।

जिस जिला में यूनियन की जिला परिषद या इसकी राज्य परिषद के सदस्य नहीं हैं वहां से सम्मेलन में भाग लेने के लिए उपयुक्त लोगों का चयन जिला परिषद करें और उन्हें भेजने की गारंटी करें ।

क्रान्तिकारी अभिनन्दन के साथ,

आपका साथी
भोला प्रसाद
(भोला प्रसाद)
सचिव,
खेत मजदूर विभाग ।

Copy of the report and Resolution adopted by the Convention against atrocities held in in Patna. on 11 May.

सामंती एवं पुलिस जुल्म के खिलाफ राज्य सम्मेलन

11 मई,1986, म०आटोली मिड्ल स्कूल,पटना

(प्रस्तावित रिपोर्ट एवं प्रस्ताव)

Adopted

अरबल नरसंहार और सहरी हत्याकांड ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि सरकार और पुलिस प्रशासन भूमिहीनों के हित वाले कानूनों को लागू करने के बजाय,उनकी आवाज गोली से दबा देना चाहती है।

राज्य के अन्दर पुलिस व सामंती जुल्म की स्थिति पिछले एक दशक से अत्यन्त गंभीर बनी हुई है। भूमिहीनों, खेत मजदूरों, हरिजनों, आदिवासियों, बटाईदारों,गरीब किसानों एवं अन्य कमजोर तबकों पर पिछले एक दशक से लगातार सामंतों, गुंडों और पुलिस का संगठित हमला जारी है। कितने उदाहरण गिनाये जायें। धर्मपुरा, बेलछी, समहुता, पिपरा, लहसुना, विश्रामपुर, बाजितपुर, पारसबीघा, मदसीमर, गैनी, कैथी, बांफी, मोदनगंज, तोफिर दियारा, कुनई, आदि कितने ही सामूहिक हत्याकांड और आगजनी आदि की घटनाएं घट चुकी हैं और फिर सहरी हत्याकांड और अरबल नरसंहार ने तो सोये हुए की आंखों में अंगुली डाल कर जगा दिया है कि देखो, इस सरकार का चरित्र क्या है ?

ये हत्याकांड, ये अमानवीय जुल्मों का अबाध सिलसिला क्यों जारी है ? सामंती तत्व, पुलिस और सरकार कहती है, 'ये डकैत, चोर, लुटेरे थे, मुठभेड़ में मार दिये गये'। पर, असलियत किसी से छिपी नहीं है। आज बिहार के कई भागों में गांव के गरीबों का संघर्ष तेज होता जा रहा है। वे बसने के लिए जमीन और जिन्दा रहने के लिए खेती की जमीन की मांग दावे के साथ करते हैं। हदबंदी से फाजिल, भूदान और सरकारी जमीन हासिल करना, और बटाई जमीन का मालिक बनना चाहते हैं। वितरित जमीन पर पर्चाधारी की हैसियत से कब्जा मांगते हैं। बटाई जमीन से बेदखल होने से इन्कार कर रहे हैं। बेगार और दूसरे तरह की बंधुआगिरी करने को अब वे तैयार नहीं हैं। कानूनी तौर पर तय मजदूरी का भुगतान मांगते हैं और इस सवाल को लेकर हड़ताल पर उतरते हैं। वे अपनी बहू-बेटियों की इज्जत पर हमले सहन करने को तैयार नहीं हैं। वे सम्मान के साथ जीने की लड़ाई लड़ रहे हैं। गांव के गरीबों के बीच का यह जागरण ही है, जिसने भूस्वामियों, महाजनों, ठेकेदारों और दूसरे शोषकों को बौखला दिया है। इसी बौखलाहट में वे पुलिस प्रशासन की मदद से हत्याओं और अन्य प्रकार के जुल्मों का सहारा लेकर गांव के गरीबों को कुचल देना चाहते हैं।

चाहे वो पुरानी कांग्रेसी सरकार हो या जनता पार्टी की सरकार हो या जगन्नाथ मिश्र, चन्द्रशेखर सिंह की सरकार हो--सभी सरकारों के समय गांव के गरीबों पर हत्या,आग-जनी, बलात्कार आदि जुल्म होते रहे हैं।

बिन्देश्वरी दूबे के राज में भी यह सब जारी है। दूबे के राज में सामंती-पुलिस जुल्म ने खतरनाक आयाम धारण कर लिया है।

दूबे की सरकार जब गद्दी पर बैठ रही थी--12 मार्च 1985 को, ठीक उसी समय

बटाईदार परिवार के हैं। उनमें एक संजय कुमार, ग्राम पंचायत के सरपंच का पुत्र, ८ वीं कक्षा का छात्र है। एक दूसरा परशु राम महतो भी छात्र है जिसकी परीक्षा चल रही थी। हत्या के बाद दारोगा द्वारा दर्ज किये गये झूठे मुकदमें में ग्राम पंचायत के मुखिया को भी अभियुक्त बनाया गया है। पुलिस की गोली के शिकार शहीद कामरेड रामचरित्र महतो, ग्राम पंचायत के दलपति भी थे। ये तथ्य पुलिस व प्रशासन द्वारा गढ़ी गयी 'मुठभेड़' और डकैती की कहानी का पर्दाफाश करने के लिए काफी है।

शहरी गांव के बटाईदारों को भूस्वामी और पुलिस के हमले की आशंका पहले से ही थी। शहीद रामचरित्र महतो और जनार्दन महतो के पिता हरदेव महतो ने २२ मार्च १९८६ को ही सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट बाढ़ के कोर्ट में आवेदन दाखिल कर भूस्वामी द्वारा पुलिस को मेल में लेकर हमला किये जाने की आशंका को लेकर मदद की प्रार्थना की थी। पंचायत के मुखिया ने भी सी०पी० आई० और बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन के नेताओं को साथ लेकर कलक्टर पटना के यहां २८ मार्च, ८६ को ही सूचना दी थी, और २ अप्रैल ८६ को राजस्व मंत्री, बिहार सरकार को भी लिखित सूचना दी गयी थी। राजस्व मंत्री ने बटाईदारों के हितों की रक्षा के लिए जिलाधिकारी को आदेश भी दिया।

शहरी गांव के बटाईदारों पर भूस्वामी एवं घोसवरी थाना की पुलिस द्वारा हमला किये जाने की आशंका से सम्बन्धी विधिवत व व्याप्त सूचना थाने के बावजूद अनुमंडलाधिकारी ने आवेदन की जांच कर अनुकूल कदम उठाने की कोई कोशिश नहीं की। आखिरकार, ६ अप्रैल ८६ को पुलिस व भूस्वामी बटाईदारों के नेता व उसके भाई की हत्या कर दी गयी।

हत्या कांड की असलियत से मुख्य मंत्री को अवगत कराया जा चुका है। विभिन्न समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों तथा विभिन्न सामाजिक पेशा के प्रतिनिधियों ने शहरी गांव का दौरा कर घटना की असलियत जान चुके हैं, राज्य भर में इस हत्या कांड की निन्दा की जा चुकी है। किन्तु, मुख्य मंत्री चुप्पी साधकर बैठे हैं।

इस सभा के जरिये हम मांग करते हैं :--

(१) रामचरित्र महतो व उनके भाई जनार्दन महतो की हत्या के दोषी भूस्वामी कमल किशोर प्र० सिंह वगैरह तथा घोसवरी थाना के दारोगा व दोषी पुलिस-कर्मियों को गिरफ्तार कर अविलम्ब बर्खास्त किया जाये तथा उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया जाये,

(२) बाढ़ के डी० एस० पी० तथा अनुमंडलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाये और इनका शीघ्र स्थानान्तरण हो,

(३) शहीद रामचरित्र महतो तथा जनार्दन महतो के परिवार को एक-एक लाख रुपये मुआवजा दिया जाये, बटाईदार परिवारों की लूटी गयी सम्पत्ति का मुआवजा दिया जाये,

(४) गिरफ्तार किये गये लोगों को अविलम्ब रिहा किया जाये तथा हत्या कांड के बाद दारोगा द्वारा दर्ज कराया गया झूठा मुकदमा वापस लिया जाये,

-------३

को मधेपुरा के रजनी गाँव में बाबूलाल हंसदा और मंगल टुडू को भाला घोंपकर मार दिया गया। इन आदिवासी बटाईदारों को जमीन से बेदखल करने के लिए यह हत्या हुई ।

गया के सरब्ली गाँव में खेत मजदूर परिवारों को बासगीत जमीन से बेदखल करने लिए 9 अक्टूबर के दिन हमला हुआ । 2 खेत मजदूरों की हत्या कर दी गयी। ये परिवार 20 एकड़ सरकारी जमीन पर बसे हुए थे। जिसका पर्चा पाने के लिए उन्होंने अंचलाधिकारी के यहाँ आवेदन किया था ।

29 अक्टूबर को खगड़िया जिला के मछड़ा गाँव में भूस्वामी के गुंडों द्वारा बटाईदारों पर गोलीबारी की गयी, जब वे बटाई की खेत पर काम कर रहे थे। इससे पहले इसी गाँव में 29 मार्च 1984 को पहली बार पुलिस के सामने गुंडों ने गोलियाँ चलायी थीं। दूसरी बार, 1 अगस्त 84 को गाँव पर हमला कर गोलीबारी की गयी थी, जिसमें सुरेश मुखिया, कमलेश्वरी मुखिया, बलनी देवी सहित कई महिलाएँ घायल हुई थीं। 6 जनवरी, 85 को बटाईदारों द्वारा फसल काटने के सवाल पर भूस्वामी के लठैतों ने फिर हमला किया । कई महिलाओं सहित अनेक बटाईदार घायल हुए । भूस्वामी बेगूसराय जिले का दबंग कांग्रेसी नेता है, जिसकी सिर्फ खगड़िया और बेगूसराय में 1150 एकड़ जमीन है। उसकी हदबंदी से फाजिल घोषित जमीन में से 245 एकड़ मछड़ा गाँव में है, जिसपर 110 बटाईदार हैं। यहाँ सी0पी0आई0के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है ।

मुंगेर के तौफिर दियारा के लक्ष्मीपुर और घासपुर बिंदटोली पर सैकड़ों हथियारबंद गुंडों ने 11 नवम्बर, 85 को हमला किया । दर्जन से ज्यादा महिला, बच्चे और पुरुषों की हत्या कर दी गयी । 300 से ज्यादा घर जला दिये गये । यह सब बटाईदारों को बेदखल करने के लिए किया गया ।

नालंदा जिला के जैतीपुर और बरई गाँव पर 16 नवम्बर को लोरिक सेना का हमला हुआ और 5 खेत मजदूर कार्यकर्ता मारे गये । 18 दिसम्बर की खबर के अनुसार सीतामढ़ी के पुनौरा गाँव में खेत मजदूर मोहम्मद अजीज अंसारी और रसीद अंसारी पर फरसे से हमला किया गया । अजीज की अस्पताल में मृत्यु हो गयी । रामपुर पटोरी गाँव के भूस्वामी के इशारे पर यह हत्या हुई । भोजपुर के कुनई गाँव में 25 दिसम्बर को पुलिस ने दो खेत मजदूरों को मार डाला । इससे पहले 14 नवम्बर को इसी गाँव में तौतामन राम, गोबरधन राम खेत मजदूरों की हत्या पुलिस ने की थी। उनके शहीद स्मारक की स्थापना 25 दिसम्बर को होनेवाली थी। आई0पी0एफ0 के आह्वान पर खेत मजदूरों की मिटिंग बुलायी गयी थी। उसी समय पुलिस ने गोलीबारी की ।

गया के परैया थाना के महादेवपुर गाँव में 20 जनवरी 86 को भूस्वामियों ने खेत मजदूरों पर गोली चलायी। कई घायल हुए। सवाल मजदूरी का था । पटना के फतुहा थाना के कटौना गाँव के हरिजन चन्द्रिका पासवान के घर जमींदार लोगों ने सशस्त्र हमला किया, लूट-पाट की और परिवार के सदस्यों को बेदखल करके भगा दिया । यह 14 जनवरी 86 की बात है।

11 जनवरी, 86 को पलामू के बैनीकला में बंधुआगिरी से इंकार करने पर दो बंधुआ

-----4

मजदूरों को पीट-पीट कर अधमरा कर दिया गया, उनके घरों में आग लगा दी गयी ।मुंगेर में लखीसराय थाना की पुलिस द्वारा जगदीश महतो को 21 दिसम्बर के दिन जीप के पीछे बांध कर तीन किलोमीटर तक घसीटा गया । जगदीश की मृत्यु हो गयी । वह जमींदारों के खिलाफ लड़ा करता था । नालंदा जिला के सरमेरा अंचल के इस्आ गांव के नन्दे ढाढ़ी को थाना में लाकर पुलिस ने इतना मारा कि जेल जाते-जाते मर गया ।

9 जनवरी,86 को जहानाबाद के लोदीपुर गांव में कामेश्वर यादव की हत्या कर दी गयी। बोधगया के नीम गांव में 5 हरिजन मजदूरों की लोरिक सेना द्वारा हत्या कर दी गयी। इससे पूर्व 15 मार्च को आई0पी0एफ0 के एक नेता की बोटी-बोटी काटकर नदी में बहा दिया गया। वे नक्करबीघा गांव में आदिवासियों के बीच संगठन का काम करने गये थे ।

और, 9 अप्रैल तथा 19 अप्रैल को सहरी हत्याकांड तथा अरबल का नरसंहार हुआ । 9 अप्रैल को, पटना के बाढ़ अनुमंडल में सहरी गांव में घोसवरी थाना के दारोगा पुलिस ने चिंतामनचक के भूस्वामी कमलकिशोर प्रसाद सिंह के इशारे पर बटाईदारों के नेता रामचरित्र महतो व उनके भाई की हत्या दालान पर गोली मार कर कर दी। उक्त भूस्वामी की लग 135 एकड़ जमीन पर सहरी गांव के 85 परिवार बटाईदार हैं। बटाईदारी का मुकदमा 1976-77 से चल रहा है । उसी साल से भूस्वामी इन बटाईदारों को बेदखल करना चाहता था। 18 मार्च को बटाईदारों की कुछ फसल दारोगा और पुलिस इंसपेक्टर की मौजूदगी में लूटा गया । 19 मार्च को भी कुछ फसल लूटी गयी। 21 मार्च को थाना ने 144 लगा दिया। बटाईदार इतना सब होने पर भी फसल काटकर खलिहान ले जाये । भूस्वामी और पुलिस महकमा बौखला गया । भूस्वामी एस0डी0ओ0 का रिश्तेदार है। बटाईदारों की फसल खलिहान से उठा ले जाने की योजना बनायी जाने लगी। इसकी सूचना कलक्टर, राजस्व मंत्री को दी गयी। राजस्व मंत्री ने लिखा कि बटाईदारों की सुरक्षा की जाय। कुछ अखबारों में इस सबकी खबर छपी। खलिहान से फसल उठा ले जाने की योजना तो असफल रही किन्तु भूस्वामी ने दारोगा और पुलिस द्वारा घर पर पहुँचकर बटाईदारों के नेता की हत्या करा दी। शहीद रामचरित्र महतो के पिता ने एस0डी0ओ0 को लिखित दिया था कि भूस्वामी पुलिस से उसके परिवार को खतरा है। हत्या करने के बाद पुलिस ने मुठभेड़ में मारे जाने की कहानी गढ़ ली। सात लोगों को गिरफ्तार भी किया जिसमें आठवीं कक्षा का एक छात्र भी है ।

सहरी हत्याकांड की निंदा सर्वत्र हो रही थी कि 19 अप्रैल को गया जिला के अरबल में 'जलियांवाला बाग' रचाया गया। 9 भूमिहीन परिवारों के कब्जे में चली आ रही 27 डिसमिल सरकारी जमीन की एक धनी परिवार के नाम नाजायज बंदोबस्ती के खिलाफ भूमिहीनों की एक सभा हो रही थी । मजदूर-किसान संग्राम समिति की सभा । सभा में लगभग 1000 लोग बैठे थे कि एस0पी0 के आदेश पर सभा को स्टेनगनधारियों ने भून दिया। 60 से ज्यादा लोग मारे गये। मारे जाने में बच्चे, बूढ़े महिलाएं भी हैं ।

गांव के गरीबों की हर हत्या या उनके ऊपर किये गये हर जुल्म का हर कदम पर विरोध

-----5

हुआ । कई मामलों में जिलास्तर से लेकर प्रांत और राष्ट्रीय स्तर पर विरोध हुआ है, हो रहा है। अरवल नरसंहार ने पूरे देश को दहला दिया है, जिसका हर पार्टी, हर ग्रुप, हर संगठन विरोध कर रहा है, यहाँतक कि शासक पार्टी में भी इस सवाल पर फट पड़ गयी है। देश के अधिकतर अखबारों ने इसके विरुद्ध निंदा का स्वर गुंजाया है। पर, इस सबको नजरअंदाज करते हुए सरकार ने अब तक भी नरसंहार के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी कदम उठाने का लक्षण प्रदर्शित नहीं किया है ।

आगे यह उल्लेख्य है कि भूस्वामी, पुलिस, गुंडों के जुल्म का विरोध अब जान पर खेलकर किया जाने लगा है। बचाव की कार्रवाईयाँ कहीं स्वत:स्फूर्त है तो कहीं संगठित। एक उदाहरण है– 2 अप्रैल 85 को सहरसा के सोनबरसा गांव का। भूस्वामियों के घुड़ सवार गुंडों ने खेत मजदूर यूनियन के नेता रामानुज सिंह पर हमला किया । गोली चली। एक घायल हुआ । यह हमला भूस्वामियों की हार से पैदा हुई बौखलाहट का नतीजा था । रामानुज सिंह के नेतृत्व में खेत मजदूरों के 200 परिवारों ने भूस्वामी हरिहर सिंह की फाजिल जमीन पर कब्जा कर झोपड़ी खड़ी कर ली है। हर गुंडागर्दी का मुंहतोड़ जवाब देते हुए आज भी खेत मजदूरों की झोपड़ी उसी जमीन पर खड़ी है ।

सारण जिला के माथा गांव में 17 मार्च, 84 को स्थानीय भूस्वामी ने 195 बीघा सरकारी जमीन से बेदखल करने के लिए खेत मजदूरों पर फसल काटते समय हमला किया, स्वारथ महतो खेत मजदूर की हत्या कर दी । खे० म०यू० की पहल पर खेत मजदूरों ने भूस्वामियों के खिलाफ जबर्दस्त आंदोलन किया। आज भी वह जमीन खेत मजदूर बस्ती के कब्जे में है ।

ऐसे प्रतिरोधों के दर्जनों उदाहरण दिये जा सकते हैं जिसके चलते भूमिहीनों, खेत मजदूरों ने सफलता पायी है । गांव के इन गरीबों को अगर सिर्फ जमींदारों और उनके हथियारबंद गुंडा सेनाओं से लड़ना हो तो हाल की कई घटनाएं साबित करती हैं कि उनसे लोहा लिया जा सकता है । मगर, निष्पक्षता और गरीबों के विकास करने का दावा करनेवाली सरकार और इसका पूरा दमन यंत्र गांव के गरीबों के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है। सहरी और अरबल इसके जिंदा और ज्वलंत प्रमाण हैं ।

जमींदारों के खिलाफ चलनेवाली हर लड़ाई में यही देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर जमींदारों का पक्ष लेता है । और सरकार के मुखियों का बयान आता है कि 'नक्सलियों के एक पत्थर का जवाब 10 गोलियों से दिया जायगा'। यह सरकार हर उसपर नक्सली होने का आरोप लगाने को तैयार है जो जमींदारों के खिलाफ लड़ रहा है। साफ है कि सरकार और उसका दमन यंत्र खुलेआम जमींदारों, महाजनों, ठेकेदारों के साथ खड़ा है ।

यह तथ्य जान लीजिये कि अरवल नरसंहार की घटना के पूर्व बिहार के डायरेक्टर जेनरल आफ पुलिस शशिभूषण सहाय ने केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री अरुण नेहरु के नाम पत्र भेजा।उसमें जो कुछ लिखा उसका सार यह है कि गांवों में विभिन्न जन-संगठनों के माध्यम से चलाये जा रहे आंदोलन को और उसके नेतृत्व को खत्म करना जरुरी है । ताकि शांति व्यवस्था बनायी जा सके । और इसी कारण निजी सेनाओं का होना औचित्यपूर्ण है ।

----6

पिछले चंद वर्षों के दौरान जमींदारों ने भूमिसेना, ब्रह्मर्षि सेना, लोरिक सेना, कुंवर सिंह सेना, राणा प्रताप सेना, समाजवादी क्रांतिकारी सेना, चाणक्य सेना आदि जैसी कई सेनाएं खड़ी कर ली हैं. जिनका एकमात्र काम है, हर हालत में चाहे जितनी लाशें पाटी दी जायें, भूमिहीनों, खेतमजदूरों, हरिजनों के आंदोलन को कुचल डालना। [illegible] इन गुंडा सेनाओं पर प्रतिबंध लगाने में कोई दिलचस्पी रखना तो दूर की बात, उल्टे उन्हें सरकार में बैठे मंत्रियों का प्रत्यक्ष संरक्षण प्राप्त है । इन निजीसेनाओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधानसभा के अंदर और बाहर बार-बार आवाज उठायी गयी, मगर नौकरशाहों का कहना है कि उनपर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वे निजी सेनाएं 'संगठित' नहीं हैं ।

इन सेनाओं को पुलिस अधिकारियों का समर्थन प्राप्त है । उल्लेखनीय उदाहरण यह है कि खुद गया जिला के एक मजिस्ट्रेट ने अपनी रिपोर्ट में साफतौर पर कहा है कि 'लोरिक सेना द्वारा भूमिहीनों पर किये गये हमले में नालंदा के एक थाना प्रभारी का हाथ है' । समाचार एजेंसी यूनीवार्ता की भी खोजबीन का निष्कर्ष यह है कि ये सेनाएं 'सुसंगठित' । ।

एक घटना पर नजर डाल लें । गया के जहानाबाद के घोसी थाना की धामापुर के खलिहानों-मकानों को पुलिस की मौजूदगी में आग लगा दी गयी। आग लगानेवालों का नेतृत्व एक कांग्रेसी सांसद और तीन कांग्रेसी विधायक कर रहे थे। ये कांग्रेसी नेता ब्रह्मर्षि सेना के कर्णधार हैं ।

14 मई 85 को गया जिला के घोसी थाना के मोदनगंज में ब्रह्मर्षि सेना और किंग महेन्द्र कांग्रेसी सांसद के लोगों ने भा०क०पा० के अंचल मंत्री जगदीश प्रसाद, मोदनगंज शाखामंत्री रामस्वरुप महतो, सहायक मंत्री चन्द्रिका राम और हाई स्कूल के लिपिक ब्रजनंदन सिंह की हत्या कर दी । छोटे साह, 12-वर्षीय मुन्ना और 8-वर्षीय पुनम कुमारी गंभीर रुप से घायल हुए । मारे जानेवाले भूमिहीनों के नेता थे ।

कैमूर की पहाड़ी पर होनेवाली मुठभेड़ों बेकसूर, गरीब, पिछड़ी जातियों के कमजोर तबकों के लोगों की हत्या की साजिश में मुख्यमंत्री का भी नाम लिया जा रहा है ।

इन सब सवालों पर केन्द्र सरकार का क्या रुख है ? आजतक वह अत्याचारों के मामलों को राज्य का मामला बताकर छुट्टी पाती रही है। मगर, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आयोग की रिपोर्ट (1977-78) के अनुसार ''समाज के कमजोर तबकों की रक्षा की गारंटी, चूंकि संविधान की धारा 46 द्वारा दी गयी है, इसीलिए ये मामले मामूली कानून व्यवस्था के नहीं हैं। चूंकि केन्द्र सरकार संविधान की कस्टोडियन होती है, इसलिए ये मामले केन्द्र सरकार की पूर्ण जबावदेही के अन्तर्गत आते हैं।'' रिपोर्ट ने साफ-साफ कहा है कि ऐसे मामले में केन्द्र सरकार जबावदेही से बरी नहीं है ।

मगर, अरवल नरसंहार सहित सभी हत्याकांडों के मामले में केन्द्र सरकार ने उस आयोग की जायज अनुशंसा को ठुकराया ही है। इससे राज्य सरकार को खूनी खेल चलाने की छूट मिल गयी है ।

-----7

उल्लेख्य है कि भारत भर में ही जिला प्रशासन का 'मुख्य काम' ग्रामीण इलाकों में शांति व्यवस्था बनाये रखना माना गया है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के गरीबों पर जितने भी पुलिस जुल्म हो रहेहैं, सभी इसी 'कानून व्यवस्था बनाये रखने' के नाम पर या बहाने से । जिला प्रशासन के इस मुख्य काम का मतलब है ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण सम्पत्ति संबंधों को यथावत् बनाये रखना। कोई भी जमीन पाने की लड़ाई हो या बटाई हक के लिए चलनेवाला आंदोलन हो--वह वर्तमान ग्रामीण सम्पत्ति संरचना और उसके उत्पादन संबंधों पर प्रहार करता है । और, जैसे ही यह प्रहार शुरु होता है, जिला प्रशासन शांति व्यवस्था पर खतरा महसूस करते हुए गरीबों पर जुल्म ढाना शुरु कर देता है। इसके लिए बड़ी आसानी से भारतीय दंड संहिता और फौजदारी प्रक्रिया संहिता का उपयोग कर लिया जाता है ।

बड़ी तादाद में उदाहरण मिलते हैं, जहां भूमि सुधार कानूनों द्वारा प्रदत्त अधिकारों को फौजदारी प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के मार्फत छीन लिया जाता है। भूमि सुधार कानूनों द्वारा तय अधिकारों को हासिल करने के सवालों पर आंदोलन करनेवालों को फौज-दारी कानून के जरिये कुचल दिया जाता है । एक उदाहरण काफी होगा । भागलपुर के गोपालपुर गांव की 40 बीघा जमीन पर बटाईदार वर्षों से खेती करते आ रहे थे। वह जमीन एक सकल नारायण सिंह की थी। उसने एक कांग्रेसी नेता शशिभूषण दास के छोटे भाई के हाथ वह जमीन बेच दी। नये खरीददार ने 6 मई,86 को दारोगा को साथ में लेकर जमीन जोतने की कोशिश की। बटाईदारों ने जमकर विरोध किया । बेदखली की कोशिश नाकाम रही। तब पुलिस ने तुरंत उस जमीन पर धारा 144 लागू कर दिया और जमीन खाली हो गयी। उपर से बटाई-दारों पर एकतरफा धारा 107 भी लाद दी गयी ।

हमारी भारतीय दंड संहिता में ग्रामीण गरीबों का ख्याल नहीं है। यह ग्रामीण क्षेत्र में भूमि सुधारों के लिए संघर्षरत लोगों को दबाने का अस्त्र बना हुआ है। भारतीय दंड संहिता में 33 प्रतिशत से अधिक परिचालन भाग सम्पत्ति के खिलाफ अपराधों से संबंधित हैं। वर्तमान सत्ता ढांचा के अन्तर्गत इसे लागू करनेवाले प्रशासन व उसकी पुलिस से संपत्तिविहीन ग्रामीणों को डंडे, जेल और गोली के सिवा दूसरा कुछ नहीं मिलने को है ।

ग्रामीण गरीबों की दशा सुधारने के लिए सरकार द्वारा 'जमीन जोतनेवालों को जमीन देने' की बात की गयी थी। लेकिन इस घोषित नीति के अनुरुप भूमि सुधार के कानून नहीं बनाये गये । भूमि सुधार के जो भी कानून बनाये गये उसे भी लागू नहीं किया जा रहा है। 1978 में योजना आयोग ने अनुमान लगाया था कि देश में हदबंदी से फाजिल अभी भी 215 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। लेकिन हदबंदी से फाजिल मात्र 22 लाख एकड़ जमीन ही अबतक वितरित की गयी है। आजादी की पूर्व बेला से ही जमीन वितरित करने का बार-बार वादा करनेवाली सरकार, 38 वर्षों की आजादी के इस लम्बे दौर में, देश के अन्दर कुल खेती योग्य भूमि का एक प्रतिशत हिस्सा भी वितरित नहीं कर पायी है ।

हमारे राज्य के अन्दर कई ऐसे जमींदार भूस्वामी और मठाधीश हैं जिनके पास हदबंदीसे

----8

फाजिल हजारों एकड़ जमीन है। गांव-गांव में सरकारी जमीन का बड़ा हिस्सा जमींदार, महाजन, ठेकेदार और दूसरे धनी दबाकर बैठे हैं। उनके गैरकानूनी कब्जे से इसे निकालकर वितरित करने का काम नहीं हो रहा है । सरकार बटाईदारों का रेकार्ड तैयार कर उनके अधिकार की सुरक्षा करने को कतई राजी नहीं है । किसी प्रकार की वितरित जमीन के बड़े हिस्से पर पर्चाधारियों का कब्जा नहीं है । हजारों एकड़ फाजिल जमीन के मामले भूस्वामियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में लटकाकर रखा गया है। सरकार ने भूमि सुधार कानून को ताक पर रख दिया है।

देश की ग्रामीण आबादी का 60 प्रतिशत हिस्सा भूमिहीन व गरीब किसानों का ही है, मगर इनके हिस्से सिर्फ 10 प्रतिशत ही खेती की जमीन है। जमींदार और धनी किसान आबादी के 10 प्रतिशत हैं, जबकि इनके कब्जे में 53 प्रतिशत खेती लायक जमीन है । ऐसी असमानता है भूमि संबंधों में । भूमि संकेन्द्रण को तोड़े बिना या बुनियादी भूमि सुधार लागू किये बिना गांव के गरीबों की दशा में कोई बुनियादी परिवर्तन संभव नहीं है ।

खेत मजदूरों व बटाईदारों की संख्या विशाल है । अकेले खेत मजदूर की आबादी देश की पूरी आबादी का एक चौथाई होता है। ग्रामीण आबादी में ये एक तिहाई है। कार्यरत खेत मजदूर को ही लीजिये तो हमारे राज्य के अन्दर इनकी संख्या एक करोड़ है। कृषि में ये अहम भूमिका निभाते हैं। श्रम की कुल जरुरत का (कृषि में) 42 प्रतिशत पूर्ति करते हैं। गांवों के गरीब कृषि के रीढ़ हैं। लेकिन कृषि में अबतक की उन्नति का लाभ इनको नहीं मिला है। उल्टे इनकी हालत बिगड़ती जा रही है। ये गरीबी रेखा के नीचे जिन्दगी गुजार रहेहैं। ये ऋण के बोझ से लदे हैं। ये बेरोजगारी के शिकार हैं। गांव के गरीबों के 65 प्रतिशत से अधिक परिवार ऋणग्रस्त हैं। ऋण के लिए ये महाजनों पर निर्भर हैं। उन्हें निर्धारित मजदूरी भी नहीं मिलती।

ग्रामीण गरीबों की वर्तमान आर्थिक-सामाजिक दशा में परिवर्तन लाने की मांगों को लेकर लड़ाई छिड़ना बिल्कुल स्वाभाविक है। उनकी जायज मांगें जमींदारों, महाजनों, दूसरे ग्रामीण धनिकों, ठेकेदारों, तथा कानून-व्यवस्था के रक्षकों को नहीं सुहाती है तो मत सुहाये। ग्रामीण आबादी का यह विशाल मेहनतकश हिस्सा भय, आतंक, हत्या, आगजनी, बलात्कार, झूठे मुकदमों, गिरफ्तारियों, जेल, सामाजिक बहिष्कार और मार-पीट आदि सामंती व पुलिस जुल्मों के आगे घुटने नहीं टेकेगा ।

परन्तु, एक सवाल सामने खड़ा है। जमींदारों और उनके हथियारबंद गुंडा सेनाओं का मुकाबला खेत मजदूर एवं गांव के दूसरे गरीब संगठित होकर कर सकते हैं । लेकिन राइफलधारी व स्टेनगनधारी पुलिस के वहशीपन के खिलाफ कैसे लड़ें ?

परिस्थिति का तकाजा है कि गांव के गरीबों द्वारा चलाये जा रहे संघर्षों को अधिकाधिक संगठित और व्यापक बनाया जाय, इनके विभिन्न हिस्सों के बीच एकता को ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाय । इतना ही जरुरी यह भी है कि हरिजनों, आदिवासियों, बटाईदारों एवं गांव के अन्य गरीबों की मांगों के पक्ष में तथा सामंती-पुलिस जुल्म के खिलाफ व्यापक जनमत तैयार किया जाय। गांव की मेहनतकश आबादी को जातिवादी आधार पर बांट

-----9

कर उन्हें आपस में लड़वाने और उल्लू सीधा करने की धनिकों की चाल को नाकाम किया जाय। क्योंकि अनुभव बताता है कि वर्गीय एकता को तोड़ने के लिए गांव के शोषकों द्वारा जातीय उन्माद भड़काया जाता है। औद्योगिक मजदूरों और उनकी ट्रेड यूनियनों द्वारा अपने ग्रामीण मजदूर भाइयों के हितों के लिए कारगर हस्तक्षेप किया जाना जरूरी हो गया है। इन दोनों की एकता के आधार पर ग्रामीण आर्थिक-सामाजिक ढांचा में मूलगामी परिवर्तन के लिए लड़ाई खड़ी किये जाने की जरूरत है। सामंती-पुलिस जुल्म मिटाने की लड़ाई को मूलभूत परिवर्तन के लिए लड़ी जा रही लड़ाईयों से अलग करके नहीं देखा जा सकता ।

ग्रामीण गरीबों की पंक्ति में व्यापक एकता, व्यापक जनमत और संगठित मजदूरवर्ग के साथ मोर्चा पर आधारित होकर प्रतिरोध की शक्ति जुटाकर डटें तो पुलिस के वहशीपन को ठंढ़ा किया जा सकता है । यह उल्लेखनीय है कि विगत 9 फरवरी 85 को उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भगवती ने बिहार के अन्दर ही रांची में कहा था ''गरीब एवं कमजोर वर्गों को न्याय दिलाना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि हमारी वर्तमान व्यवस्था में दबंग लोग इस प्रकार हावी हैं कि किसी भी कमजोर को न्याय दिला पाना सहज संभव नहीं है ''।

राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेन्ट में गांव के खेत मजदूरों, बटाईदारों, आदिवासियों, हरिजनों एवं अन्य कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे सामंती एवं पुलिस जुल्म को लेकर कई मौकों पर चर्चा हुई है। बेलछी हत्याकांड के बाद भारतीय खेत मजदूर यूनियन के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी अभियान गरीबों पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध चलाया गया था। जुल्म के खिलाफ राष्ट्र का ध्यान आकृष्ट करने के लिए भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने 7-14 सितम्बर 1977 तक एक कार्यक्रम चलाया था । इस सवाल पर 1978 में, तात्कालीन सी०पी०आई० सांसद एम०एन० गोविन्दन नायर ने राष्ट्रव्यापी दौरा किया। 20 मार्च 1979 को मुख्य रूप से बढ़ते जुल्म के सवाल को लेकर भारतीय खेत मजदूर यूनियन ने पार्लियामेन्ट के सामने पहली बार पांच लाख खेत मजदूरों का जुटान किया था ।

राज्य के अन्दर जिले-जिले में जुल्म की घटनाओं को लेकर आंदोलन एवं प्रतिरोध किया गया है। 18 नवम्बर 1983 को सहरसा जिला के खेत मजदूर यूनियन के उपाध्यक्ष भगवत कुमार मुकुन्द की हत्या भूस्वामियों ने उनके घर पर इसीलिए कर दी कि उन्होंने एक खेत मजदूर महिला के साथ बलात्कार की घटना का विरोध किया था । कितने ही ऐसे उदाहरण हैं ।

अत्याचार को रोकने का आश्वासन पिछले एक दशक के अन्दर कई बार दिये गये। 1980 में केन्द्र सरकार ने अत्याचार पर रोकथाम के लिए कुछ कार्रवाइयां किये जाने के बारे में उपाय तय किया तथा उस हेतु केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों को 'गाइड लाइन्स' भेजा गया । केन्द्रीय गृह मंत्रालय का पत्र सं0-111-11011-4-80 (डी) दिनांक 10 मार्च 1980 तथा पत्र संख्या-111-11011-7-80 पी0सी0आर0(डी) दिनांक 7 सितम्बर 1980 । गाइड लाइन्स में सुझाये उपायों को कार्यरूप देने के बारे में केन्द्रीय गृहमंत्री ने 15 अप्रैल 1985 को भी राज्य सरकारों को लिखा था । लेकिन ज्ञात है कि 19 अप्रैल 85 को राज्य के अन्दर बांफी में 15 आदिवासियों एवं उनके दो नेताओं के खून खुद पुलिस ने किया जिसकी चर्चा पहले ही की जा

चुकी है।

राज्य सरकारों को भेजा गया गाइड लाइन्स हरिजनों व आदिवासी व कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे जुल्म को रोकने में कितना सफल हुआ है ? यह पूछने पर कांग्रेस(इ) की केन्द्र सरकार चुप्पी साध लेती है।

यह सम्मेलन राज्य के अन्दर हरिजनों, आदिवासियों, खेत मजदूरों, बटाईदारों एवं अन्य कमजोर तबकों पर लगातार ढाये जा रहे सामंती एवं पुलिस जुल्म की गंभीर स्थिति के विरुद्ध गंभीर चिंता एवं आक्रोश व्यक्त करता है।

सम्मेलन सामंती एवं पुलिस जुल्म पर रोकथाम लगाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाये जाने की मांग करता है:-

1- राज्य के अन्दर भूस्वामियों द्वारा गठित निजी सेनाओं को गैरकानूनी करार दिया जाय, उनके हथियार जप्त किये जायें, इनके संरक्षकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाय,

2- हरिजनों, आदिवासियों, खेत मजदूरों, बटाईदारों एवं अन्य कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे जुल्म के मामलों की शिकायत दर्ज कराने व उनपर सुनवाई तथा जुल्म के अपराधियों को दंडित करने के लिए जिला व अनुमंडल स्तर पर विशेष अदालतें कायम की जायें,

3- कमजोर तबकों के खिलाफ अपराध को बढ़ावा देने और उसमें सहायता देने तथा खुद अपराध करने में, किसी भी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उसे फौरन नौकरी से बर्खास्त किया जाय और उस पर मुकदमा चलाया जाय,

4- कमजोर तबकों पर अत्याचारों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु राज्यस्तर पर एक ऐसी समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें हरिजनों, आदिवासियों, तथा अन्य कमजोर तबकों और खेत मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों,

5- अत्याचारों और सामाजिक उत्पीड़न के मामलों का शीघ्र निपटाया जाना सुनिश्चित करने हेतु ऐसे मुकदमों के लिए तुर्त-फुर्त कार्रवाई अदालतें कायम की जायें,

6- बांफी, गोविन्दगंज, तौफीर दियारा में सामूहिक हत्या की घटनाओं के बाद अरवल में जालियांवाला बागकांड को मात करनेवाले सामूहिक नरसंहार और सहरी हत्याकांड की मुजरिम दूबे सरकार को बर्खास्त किया जाय। दोषी दारोगा(घोसवरी) और एस०पी० (जहानाबाद) के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाये जायें,

कमजोर तबकों पर ढाये जा रहे सामंती एवं पुलिस जुल्म की जड़ में उनकी कुछ अहम मांगें हैं। अत: यह सम्मेलन यह भी मांग करता है कि:--

1- बटाई की जमीन को बटाईदारों के नाम दर्ज किया जाय तथा इसके लिए कालबद्ध विशेष अभियान चलाया जाय,

2- हदबंदी से फाजिल, भूदान और सरकारी वितरित जमीन पर पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने के लिए राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाय तथा विशेष अभियान चला कर हद बंदी से फाजिल, सरकारी जमीन का वितरण भूमिहीनों के बीच किया जाय,

3- पंचायतस्तर पर कालबद्ध अभियान चलाकर वासगीत पर्चा दिया जाय तथा जिन्हें बसने के लिए जमीन नहीं है, उन्हें बास की जमीन दी जाय।

------11

4- न्यूनतम मजदूरी कानून को सख्ती से लागू किया जाय,

5- मजदूरी और जमीन के संघर्षों के सिलसिले में चलाये गये तमाम झूठे मुकदमों को वापस लिया जाय और,

6- बंधुआ मजदूरी कराने के अपराधी मुस्तागिरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाय ।

यह सम्मेलन राज्य भर के तमाम खेत मजदूरों, बटाईदारों एवं अन्य कमजोर तबकों का आह्वान करता है कि वे सामंती व पुलिस जुल्म के खिलाफ आगामी 5 जून को प्रखंड स्तर पर विरोध दिवस संगठित करें तथा 25 जून को पटना में राज्यव्यापी प्रदर्शन करें। सम्मेलन यह भी आह्वान करता है कि जुल्म के खिलाफ प्रतिरोध की कारगर शक्ति संगठित करे ।

सम्मेलन राज्य के अन्दर कमजोर तबकों पर लगातार ढाये जा रहे सामंती एवं पुलिस जुल्म के खिलाफ आगामी 9 अगस्त को 'बिहार बंद' का आह्वान करता है ।

सम्मेलन राज्य के औद्योगिक मजदूरों व उनकी ट्रेड यूनियनों, छात्रों, नौजवानों, संगठनों तथा तमाम जनवादी ताकतों से अपील करता है कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जुझारू भूमिका निभायें ।

सम्मेलन राज्य भर के खेत मजदूरों एवं गरीब किसानों का आह्वान करता है कि वे आगामी जुलाई-अगस्त के महीनों में जमीन, मजदूरी व न्याय संबंधी मांगों को लेकर राज्यव्यापी आंदोलन चलाने की तैयारी में अभी से जुट जायें । इसके लिए गांव-गांव में यूनियन में संगठित हों तथा आंदोलन की एवं अपनी रक्षा के लिए खेत मजदूर एवं गरीब किसानों के नौजवानों को लेकर लड़ाकू रक्षा दल तैयार करें ।

राज्य के अन्दर सामंती एवं पुलिस जुल्म की गंभीर स्थिति के खिलाफ कई राजनीतिक दल चिंतित हैं। किन्तु खेद है कि इस सवाल पर चिंतित राजनीतिक दलों द्वारा चुनौती का सामना करने के लिए मिल-जुलकर संयुक्त आंदोलन खड़ा करने का काम नहीं किया जा रहा है। यह सम्मेलन वैसे तमाम राजनीतिक दलों से अपील करता है कि सामंती व पुलिस जुल्म के खिलाफ तथा गांव के गरीबों की जायज मांगों के पक्ष में वे एकजुट होकर राज्यव्यापी कारगर आंदोलन खड़ा करें। यदि मजबूत राज्यव्यापी एकताबद्ध आंदोलन खड़ा किया जाय तो गांव के गरीबों की कई मांगों को मानने के लिए सरकार को तत्काल बाध्य किया जा सकता है और पुलिस की बढ़ती ज्यादती पर भी नियंत्रण किया जा सकता है ।

आइये, बिहार को सामंती एवं पुलिस जुल्म से मुक्त कराने के लिए एकताबद्ध होकर जुझारू संघर्ष की ओर बढ़ें ।

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन   पटना, ता० 16-5-86

सामन्ती एवं पुलिस जुल्म के विरोध में विगत 11 मई को सम्पन्न हुए राज्य सम्मेलन द्वारा पारित 12 सूत्री मांगें निम्नलिखित हैं :---

1- राज्य के अंदर भूस्वामियों द्वारा गठित निजी सेनाओं को गैर कानूनी करार दिया जाये, उनके हथियार जब्त किये जायें, उनके संरक्षकों को गिरफ्तार कर मुकदमा चलाया जाए;

2- जुल्म के मामलों की शिकायत दर्ज कराने व उन पर सुनवाई तथा जुल्म के अपराधियों को दंडित करने के लिए जिला तथा अनुमंडल स्तर पर 'विशेष अदालत' कायम की जाये;

3- कमजोर तबकों के खिलाफ जुल्म को बढ़ावा देने और उसमें सहायता देने तथा खुद अपराध करने में किसी भी अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उसे फौरन नौकरी से बर्खास्त किया जाये और उसपर मुकदमा चलाया जाये ;

4- जुल्म के खिलाफ शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु राज्य, जिला व प्रखंड स्तर पर समिति गठित की जानी चाहिए जिसमें हरिजनों, आदिवासियों, अन्य कमजोर तबकों और खेत मजदूर संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हों;

5- जुल्म के मामलों का शीघ्र निपटारा जाना सुनिश्चित करने हेतु ऐसे मुकदमों के लिए तुर्त-फुर्त कार्रवाई अदालतें कायम की जायें ;

6- बांझी, मोदनगंज, तौफीर दियारा में सामूहिक हत्या की घटनाओं के बाद अब जालियावाला बाग कांड को मात करने वाले अरवल नरसंहार तथा अहरी हत्याकांड की मुजरिम दुबे सरकार को बर्खास्त किया जाये । दोषी एस० पी०(जहानाबाद) और दारोगा (घोसवरी) के खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाये ;

7- बटाई की जमीन को बटाइदारों के नाम दर्ज किया जाये तथा इसके लिए कालबद्ध विशेष अभियान चलाया जाये ;

8- हदबंदी से फाजिल, भूदान और सरकारी वितरित जमीन पर पर्चाधारियों को कब्जा दिलाने के लिए राज्य स्तर पर विशेष अभियान चलाया जाये तथा विशेष अभियान चलाकर हदबंदी से फाजिल, सरकारी जमीन का वितरण भूमिहीनों के बीच किया जाये ;

9- पंचायत स्तर पर कालबद्ध अभियान चलाकर बासगित पर्चा दिया जाये तथा जिन्हें बसने के लिए जमीन नहीं है उन्हें वास की जमीन दी जाये ;

10- न्यूनतम मजदूरी कानून को सख्ती से लागू किया जाये ;

11- मजदूरी और जमीन के संघर्षों के सिलसिले में चलाये गये तमाम झूठे मुकदमों को वापस लिया जाये ;

12- बंधुआ मजदूरी कराने के अपराधी भूस्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये ।

==========

विगत 11 मई को पटना में सम्पन्न सामंती एवं पुलिस जुल्म विरोधी राज्य सम्मेलन में शहरी हत्याकांड के विरुद्ध पारित प्रस्ताव द्वारा की गयी मांगे :

1- कामरेड रामचरित्र महतो व उनके भाई जनार्दन महतो की हत्या के दोषी मुखामी कमल किशोर प्रसाद सिंह वगैरह तथा घोसवरी (मोकामा) थाना के दारोगा व दोषी पुलिस कर्मियों को गिरफ्तार कर अविलंब बर्खास्त किया जाये तथा उनके विरुद्ध हत्या का मुकदमा चलाया जाये ;

2- बाढ़ के डी०एस०पी० तथा अनुमंडलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाये और उनका शीघ्र स्थानान्तरण हो ;

3- शहीद कामरेड रामचरित्र महतो तथा जनार्दन महतो के परिवार को एक-एक लाख रु० मुआवजा दिया जाये, बटाईदार परिवारों की लूटी गयी सम्पत्ति का मुआवजा दिया जाये ;

4- गिरफ्तार किये गये लोगों को अविलंब रिहा किया जाये तथा हत्याकांड के बाद दारोगा द्वारा दर्ज कराया गया झूठा मुकदमा वापस लिया जाये ;

5- बटाईदारों के लंबित मुकदमों का शीघ्र निष्पादन किया जाये ;

6- हत्याकांड की सर्वदलीय जांच करायी जाये ;

7- दुबे सरकार को बर्खास्त किया जाये ।

========

जुल्म विरोधी राज्य सम्मेलन में अरवल हत्याकांड के विरुद्ध पारित प्रस्ताव द्वारा की गयी मांगे :

1- अरवल नरसंहार के दोषी एस० पी० को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा चलाया जाये ;

2- अरवल नरसंहार के लिए दुबे सरकार को जिम्मेवार ठहराते हुए इसे बर्खास्त किया जाए;

3- अरवल नरसंहार की सर्वदलीय जांच करायी जाये ;

4- अरवल नरसंहार की घटना के बाद सच्चाई पर पर्दा डालने हेतु मनगढ़ंत कहानी गढ़ने संलग्न सभी अधिकारियों को बर्खास्त किया जाये ;

5- मृतकों के परिवारों को तथा घायलों को समुचित मुआवजा दिया जाये ;

6- अरवल स्थित वासिलपुर मुहल्ला में 27 डिसमिल सरकारी जमीन की धनी परिवार के साथ की गयी बन्दोबस्ती रद्द की जाये तथा उसे उन 9 परिवारों के नाम बन्दोबस्त की जाये जो भूमिहीन हैं ;

7- उक्त 27 डिसमिल जमीन की धनी परिवार के नाम बन्दोबस्त करने वाले अंचलाधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाये ।

==============

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

केदारदास श्रम एवं समाज अध्ययन संस्थान
अदालतगंज, अमरनाथ रोड, पटना-1

यूनियन के जिला सचिवों एवं
राज्य परिषद के सभी सदस्यों के नाम :

ता०:- 16-5-1986

5 जून को प्रखंड स्तर पर विरोध-दिवस धुआंधार ढंग से संगठित करें, 25 जून को पटना में राज्य प्रदर्शन की तैयारी जोर-शोर से शुरू करें, 9 अगस्त को बिहार बंद का आह्वान गांवों, बाजारों, शहरों तक पहुंचावें, साथ-साथ भूमि व मजदूरी के सवाल पर आंदोलन की तैयारी भी चलावें ।

जुल्म-विरोधी राज्य सम्मेलन के फैसलों को लागू करने के लिए
यूनियन की राज्य परिषद का निर्देश

प्रिय साथी,

विगत 11 मई को पटना में संपन्न हुए सामंती एवं पुलिस जुल्म-विरोधी राज्य सम्मेलन ने शहरी हत्याकांड तथा अरबल नरसंहार के खिलाफ एवं राज्यभर में बढ़ते सामंती एवं पुलिस जुल्म की गंभीर स्थिति के खिलाफ राज्यव्यापी धुआंधार संघर्ष के लिए आह्वान किया है:—

1- शहरी हत्याकांड व अरबल नरसंहार एवं बढ़ते सामंतीव पुलिस जुल्म के खिलाफ 5 जून ,1986 को राज्य भर में प्रखंड स्तर पर 'विरोध-दिवस' संगठित करना है ।

— यह विरोध दिवस प्रभावकारी ढंग से संगठित हो। गांव के गरीबों के साथ-साथ समाज के दूसरे विभिन्न तबकों के लोगों को भीइस आयोजन में शामिल किया जाय ।

— 5 जून को प्रखंड मुख्यालय के बाजार में जुटकर विरोध दिवस मनाने के लिए आम सभा की जाय। आमसभा के पहले या बाद में बाजार में जुलूस निकाला जाय ।

-- बाजार के मुख्य चौराहा या किसी उपयुक्त स्थान पर दिन भर का धरना आयोजित करके भी विरोध दिवस का कार्यक्रम चलाया जा सकता है ।

-- कार्यक्रम में छात्रों, नौजवानों, महिलाओं, लेखकों व अन्य बुद्धिजीवियों, किसान सभा व ट्रेड यूनियनों को शामिल करने के लिए ठोस पहल कीजाय। ऐसे राजनीतिक दल जो हमारी मांगों का समर्थन करें, उन्हें भी शामिल किया जाय ।

2- 25 जून,86 को पटना राज्य प्रदर्शन का आह्वान किया गया है। इस आह्वान का समर्थन ऐटक, किसान सभा, ए०आई०एस०एफ०, महिला समाज, नौजवान संघ आदि जन संगठनों तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बिहार राज्य परिषद ने किया है। इस कार्यक्रम को शानदार ढंग से सफल बनाने के लिए अभी से तैयारी में जुट जाना है ।

-- 25 जून को पटना में राज्य प्रदर्शन के कार्यक्रम के बारे में जिला व प्रखंड स्तर से पर्चे प्रकाशित कियेजायें, दीवालों पर इसके नारे लिखे जायें, ग्राम-गोष्ठी, आम सभाओं एवं जिला, प्रखंड एवं क्षेत्रीय स्तर पर जुल्म-विरोधी सम्मेलनों के आयोजन किये जायें ।

3- 9 अगस्त : बिहार बंद :- 9 अगस्त,८८ को बिहार बंद का आह्वान किया गया है। विरोध दिवस और राज्य-प्रदर्शन की तैयारी के दौर में भी बिहार बंद के कार्यक्रम का प्रचार चलाया जाय।

4- जुलाई और अगस्त के महीनों में भूमि-मुक्ति आंदोलन एवं न्यूनतम मजदूरी आदि के सवालों पर आंदोलन चलाये जायेंगे। ठोस कार्यक्रम का ऐलान राज्य केन्द्र की ओर से उपयुक्त समय में किया जायगा। किन्तु, जिला परिषदें अपनी बैठकों में इस पर भी योजना तैयार करें।

5- 25 जून को पटना में राज्य प्रदर्शन के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए यूनियन ने 20,000 रुपये कोष-संग्रह करने का आह्वान किया गया है। यूनियन की राज्य परिषद ने जिलावार कोटा निर्धारित किया है जिसका तफसील संलग्न है। कोष-संग्रह का लक्ष्य पूरा करना नितान्त जरुरी है।

6- आंदोलन के इन कार्यक्रमों को चलाते हुए यूनियन की सदस्यता भर्ती का भी काम किया जाना है।

7- जिला परिषदें अपनी बैठक शीघ्र संपन्न करें। व्यक्तिगत जिम्मेवारियां बैठकों में निर्धारित की जायें। बैठक में उपरोक्त कार्यक्रमों को लागू करने के लिए विस्तृत योजना तैयार की जाय व उसे लागू करने की गारंटी की जाय।

जिन जिला परिषदों की बैठकों की तिथि निर्धारित नहीं की जा सकी है उनके जिला मंत्री अविलम्ब तिथि निर्धारित कर राज्य केन्द्र को सूचित करें ताकि राज्य नेताओं का प्रोग्राम बैठक में भाग लेने के लिए बनाया जा सके।

8- राज्य केन्द्र से 25 जून के राज्य प्रदर्शन के कार्यक्रम संबंधी पर्चा-पोस्टर छपाया जायगा जिन्हें जिलों को भेजा जायगा।

साभिवादन।

आपका साथी,

नागेन्द्रनाथ ओझा

(नागेन्द्रनाथ ओझा)

महासचिव

बिहार राज्य खेत मजदूर यूनियन

पटना,

16-5-1986

यूनियन की जिला बैठकों के कार्यक्रम की तफसीलें

जिला का नाम	बैठक की तिथि	बैठक में भाग लेनेवाले साथी
1- रोहतास	30-5-86	का० यमुना वर्मा
2- औरंगाबाद	24-5-86	
3- गया	22-5-86	
4- मुंगेर	19-5-86	का० भोला माँझी
5- नवादा	25-5-86	
6- सीतामढ़ी	31-5-86	का० हरिकेश्वर मिश्र
7- सीवान	26-5-86	का० लंबोदर झा
8- गोपालगंज	23-5-86	
9- सहरसा	28-5-86	का० चन्द्रदेव हिमांशु
10- खगड़िया	28-5-86	
11- पूर्णिया	28-5-86	का० इमदाद इलाही
12- राँची	28-29-5-86	का० नागेन्द्रनाथ ओझा
13- देवघर	25-5-86	
14- भागलपुर	24-5-86	
15- पूर्वी चम्पारण	26-5-86	का० जनार्दन पाँडेय
16- प० चम्पारण	2-6-86	
17- मुजफ्फरपुर		का० रीझन राम
18- दरभंगा		का० मधुसूदन प्रसाद
19- गोड्डा		का० जनार्दन पाँडेय
20- बेगूसराय		का० रामचन्द्र पासवान
21- भोजपुर		का० यमुना वर्मा
22- मधेपुरा		का० जनार्दन पाँडेय
23- वैशाली		का० नागेन्द्रनाथ ओझा
24- पलामू		का० नागेन्द्रनाथ ओझा
२५- नालंदा	२५-५-८६	का० जनार्दन पाँडे

कृ० पृ० उ०

20,000 रु0 कोष-संग्रह के लिए जिलावार लक्ष्य की तफसील

जिला का नाम	निर्धारित लक्ष्य	जिला	निर्धारित लक्ष्य
1- पटना	2000 रु0	2- नालन्दा	2000 रु0
3- मुंगेर	2000	4- गया	1500
5- औरंगाबाद	500	6- नवादा	500
7- भागलपुर	500	8- गोड्डा	500
9- मधुबनी	1000	10- दरभंगा	500
11- समस्तीपुर	500	12- मुजफ्फरपुर	1000
13- सीतामढ़ी	500	14- वैशाली	250
15- बेगूसराय	2000	16- खगड़िया	250
17- पूर्णिया	250	18- कटिहार	250
19- मधेपुरा	250	20- सहरसा	1000
21- चम्पारण	1000	22- बेतिया	1000
23- सीवान	500	24- सारण	250
25- गोपालगंज	250	26- भोजपुर	250
27- राँची	500		
		कुल रुपये -	21,000 रु0

नोट:- मई माह के अंत तक कोष का 50 प्रतिशत पूरा कर जमा करें और 15 जून तक सभी जिला कोटा पूरा कर कोष राज्य केन्द्र के पास भेज दें।

साभिवादन।

आपका साथी,
(हस्ताक्षर)
(नागेन्द्रनाथ ओझा)
महासचिव

BOOK POST